पांच बार आवेदन के बाद भी जनसुनवाई में नहीं हुई कार्रवाई , तीन वार्डों की सीमा पर बनी है मंडी

कब हटेगी अवैध सब्जी मंडी ?

हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सब्जी मंडी हटाये जाने को लेकर दिया था निर्णय

नगर पालिका ठेकेदारों से सांठ गाठ कर संचालित कर रहे सब्जी मंडी को

सिवनी नवभारत। नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा नगर को स्वच्छ एवं संदर्भ बनाने के लिए प्रयासरत है जिसको लेकर स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बुधवार में भ्रमण कर वहां के व्यापारियों की समस्याओं का समाधान के लिए संपर्क किया गया लेकिन देखने में आया कि इसी बुधवारी तलाव से लगे हुए संजय वार्ड अशोक वार्ड एवं आजाद वार्ड की सीमा पर स्थित सब्जी बाजार जो की दादू धर्मशाला से एलआईसी चौक के मध्य यूके अंबानी वकील के निवास तक पूर्व में हाथ ठेले वालों द्वारा लगता था जो वर्तमान में अब सामुदायिक भवन तक लग रहा है इस क्षेत्र में ग्रामीण अंचल से आने वाले व्यापारी सब्जी का व्यवसाय करते हैं लेकिन देखने में आया कि इस सब्जी बाजार को सड़कों पर लगाए जाने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन हो या पैदल चलने वाले लोग सभी को असुविधा का सामना करना पड़ता है लेकिन नगर पालिका में हटाने के लिए प्रयास नहीं करती इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा भी इस अवैध रूप से संचालित बाजार को हटाए जाने का निर्णय दिया जा चुका है इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।

कई बार हो चुकी शिकायत

लोगों ने बताया कि उन्होंने 24 अक्टूबर 25 से आज तक 5 बार जनसुनवाई में शिकायत दी है लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आकर्षित है उनका कहना है कि इन व्यापारियों के साथ-साथ क्षेत्र में जुआ सट्टा एवं गंज एवं शराब का अवैध व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है यहां आने वाले ग्राहकों के साथ लूटपाट की जाती है।

क्या फुटपाथ व्यापारियों को पालिका दे रही संरक्षण

लोगों का यह भी आरोप है कि नगर पालिका द्वारा ठेकेदारों के साटंगांठ कर इन में फुटपाथ के व्यापारियों को संरक्षण दे रही है जबकि इस संबंध में कानून में प्रावधान है कि इन पर धारा 258 260 263 के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है लेकिन नगरपालिका यह कार्य का कर डाल देती है कि कार्रवाई के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है और हर समय पुलिस उपलब्ध न होने के कारण यहां पर इन व्यापारियों को हटाना मुश्किल हो रहा है लोगों का कहना है कि इन ग्रामीण अंचलों से आने वाले इन सब्जी विक्रेताओं को स्थाई रूप से नगर पालिका दुकान बनाकर दे दे तो शायद इस समस्या का समाधान निकल सकता है लेकिन इस को लेकर आज तक नगरपालिका ने कोई प्रयास नहीं किया। लोगों का कहना है कि इन्हें तत्काल नहीं हटाया गया तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बधाई होना पड़ेगा जिसका जवाबदारी जिला प्रशासन होगा।

सड़कों पर बैठे आवारा मवेशी बने काल, हादसे में मवेशी मृत

मवेशी से टकराकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, काऊ कैचर और कांजी हाउस सिर्फ शोभा की सुपारी

छपारा नवभारत। नगर परिषद छपारा के अंतर्गत आवारा मवेशियों का सड़कों पर डेरा डालना वाहन चालकों के लिए लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में जहां वाहन चालक गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं, वहीं मवेशी भी अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं।

सोमवार रात हुआ बड़ा हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, विगत 13 जुलाई (सोमवार) की रात लगभग 11 बजे एक दर्दनाक हादसा सामने आया। लखनादौन की ओर से बाइक पर आ रहा युवक समीर खान जैसे ही छपारा नगर के हाईवे कालोनी मोड़ (जहां पूर्व में उत्कृष्ट विद्यालय का गेट हुआ करता था) के सामने पहुंचा, तभी सड़क के बीचो-बीच बैठे एक आवारा मवेशी से उसकी तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार समीर खान के गले और दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को छपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय सिवनी रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। वहीं, इस भीषण टक्कर में मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई।

नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

नगरवासियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में अनेक बार नगर परिषद छपारा से आवारा मवेशियों को लेकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की जा चुकी है। लेकिन परिषद द्वारा कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी कर दी जाती है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए काऊ कैचर और कांजी हाउस की सुविधाएं सिर्फ कागजों और दिखावे तक सीमित रह गई हैं। जनता ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने की ठोस व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोका जा सके।

बारिश में बढ़ी आफत

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश के मौसम में आवारा मवेशी नगर की सड़कों के बीचो-बीच और प्रमुख चौक-चौराहों पर सूखी जगह की तलाश में बैठ जाते हैं। रात के अंधेरे में वाहन चालकों को ये मवेशी दिखाई नहीं देते, जिससे वे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।

एक नजर में

विधायक दिनेश राय ने सुनीं लोगों की समस्याएं

सिवनी। मंगलवार, को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी ने अपने बारापत्थर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई मे अनेकों आवेदनों पर सुनवाई कर समस्याओं का निराकरण किये जाने निर्देश दिया। विधायक दिनेश मुनमुन जी ने प्रत्येक आवेदकों की बात को गंभीरता से सुनने के उपरांत संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता की सेवा ही हमारा मुख्य ध्येय है समस्याओं का शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए इसके साथ ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा कर वापस लौटे विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी का गणमान्य जनों एवं भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक कार्यालय पहुंचकर अंगवस्त्र ओढ़ाकर पुष्प गुच्छ व मालाओं से आत्मीय स्वागत अभिनंदन कर शुभकामनाएं प्रेषित की गयी।

धनौरा में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित

सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद द्वारा स्थापना दिवस पखवाड़े के अंतर्गत स्वैच्छिकता पर्व के अवसर पर विकासखंड धनौरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम एवं मेंटर्स, नवांकुर संस्थाओं तथा प्रस्फुटन समितियों की समीक्षा बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत साजपानी के सभा कक्ष में किया गया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक श्री राजेंद्र चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन के साथ हुआ। इसके उपरांत श्री पीतम रजक द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।

पटवारियों की अनदेखी पर फूटा गुस्सा : तहसीलदार को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

छपारा नवभारत। मध्यप्रदेश पटवारी संघ तहसील छपारा द्वारा पटवारी संवर्ग की वर्षों से लंबित 5 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार छपारा को सौंपा है। पटवारी संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी 7 दिनों में उनकी न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 15 जुलाई 2026 से पटवारी सामूहिक अवकाश पर

जाकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री आवास पर भेंट के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पटवारी महाअधिवेशन के लिए नवंबर 2025 का समय देने का आश्वासन दिया गया था। परंतु लगातार प्रयासों के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा महाअधिवेशन हेतु न तो कोई तारीख सुनिश्चित की गई और न ही वर्षों से लंबित मांगों पर कोई आदेश प्रसारित किए गए। शासन के इस रवैये से पूरा पटवारी संवर्ग खुद को शोषित और उपेक्षित महसूस कर रहा है।

जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ...

16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी एवं 17 जुलाई को विशाल भंडारे का आयोजन

सिवनी नवभारत। सिवनी नगर के सुभाष वार्ड में स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी के जगदीश मंदिर से आगामी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ स्वामी की विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिस तरह जगन्नाथ पुरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ स्वामी भगवान बलभद्र जी महाराज एवं माता सुभद्रा जी को तीनों पृथक पृथक सुसज्जित रथों में बैठाकर नगर भ्रमण हेतु शोभा यात्रा के रूप में निकाला जाता है उसी तरह हमारे शहर सिवनी में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी एवं नगर भ्रमण के उपरांत वापस जगदीश मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हो जाएगा।

यहां पर श्रद्धालु जनों को प्रसाद एवं भंडारा भी कराया जाता है जो कि इस वर्ष दिनांक 17 जुलाई को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जगन्नाथ स्वामी का यह मंदिर सेठ भोपत राव द्वारा सन 1871 में बनवाया गया था। तभी से यह रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। यह हमारे शहर की 155 वर्ष से चली आ रही गौरवशाली परंपरा है।

श्री सुनील राव पवार इस समय मंदिर के सर्वराहकार है एवं रथ यात्रा कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं। उन्हीं के नेतृत्व में विगत 38 वर्षों से रथ यात्रा निकाली जा रही है।

उक्ताशय की जानकारी देते हुए जगदीश मंदिर के सर्वराहकार एवं रथ यात्रा के आयोजक सुनील राव पवार एवं रथ यात्रा के सहयोगी पंडित सतीश शुक्ला मोहन सिंह चंदेल राजा राम राय सुरेंद्र करोसिया सुजीत नाहटा रंजीत यादव नितिन मिश्रा एवं रोहित मेहरौलीया ने समस्त श्रद्धालु भक्तों से रथ यात्रा में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

यहां से निकलेगी यात्रा

इस वर्ष रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार को शाम 4:00 बजे जगदीश मंदिर से निकलकर गांधी चौक शुक्रवारी काली चौक विंध्यवासिनी मंदिर गणेश चौक होते हुए पुन: शुक्रवारी नेहरू रोड दुर्गा चौक मठ मंदिर एवं छिंदवाड़ा चौक होते हुए बैनगंगा मैया के तट पर लखनवाडा घाट में यात्रा पूर्ण हो जावेगी।

लखनवाड़ा टीआई चंद्रकिशोर सिरामे सहित जिले के चार निरीक्षकों को डीएसपी पद पर पदोन्नति

सिवनी नवभारत। मध्यप्रदेश शासन ने पुलिस विभाग में निरीक्षक (टीआई) से उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। जारी सूची में सिवनी जिले के चार पुलिस निरीक्षकों को भी डीएसपी पद पर पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नत अधिकारियों में लखनवाड़ा थाना प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे, लखनादौन थाना प्रभारी के.पी. धुर्वे, कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी संतोष पंद्रे तथा रक्षित केंद्र सिवनी में पदस्थ निरीक्षक प्रदीप वाल्टर शामिल हैं।

हालांकि पदोन्नति के बाद फिलहाल इन अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वे आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही कार्य करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा जारी पदोन्नति सूची में प्रदेश के कई ऐसे पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जो पूर्व में कार्यवाहक डीएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सिवनी जिले के चार अधिकारियों को मिली इस पदोन्नति से पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है तथा उन्हें सहकर्मियों एवं शुभचिंतकों द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं।

आवेदन आमंत्रित

सिवनी। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवक -युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक के सेवा, उद्योग एवं व्यवसाय संबंधी प्रकल्पों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्राकृतिक आपदा में मृत हुए अशोक के परिवार को सहायता राशि प्रदाय की मांग

सिवनी नवभारत। प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हुई अशोक रजक को मृत्यु उपरांत शासन से मिलने वाली सहायता निधि देने में कोताही बरती जा रही है । प्राप्तजानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2026को अरी से लौटने के दौरान अमरगढ़ के पास आंधी तूफान के चलते 40 वर्षी अशोक रजक छपारा निवासी की मौत हो गई थी मृत्यु के उपरांत घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी तथा पोस्टमार्टम एवं एफ आई आर की रिपोर्ट नगर पालिका परिषद में जमा की गई थी।

गौर तलब है कि मृतक की पत्नी संध्या रजक ने कहा है कि पति की मृत्यु समग्र आईडी में सामान्य मृत्यु के हिसाब से दर्ज हो गई है इसके सुधार के लिए मेरे द्वारा एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से संशोधन के लिए दर्ज की गई है लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है अत: निवेदन है कि आप मेरी समस्या का समाधान करें तथा शान द्वारा मिलने वाली सहायता राशि जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करेंगे जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं।

प्रदेश में मूंग की शत- प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित की जाए

सिवनी नवभारत। किसानों की मूंग खरीदी और खराब बीज के मुद्दे को लेकर मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन तेज होने जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मध्यप्रदेश के बैनर तले 15 जुलाई को सिवनी फिय प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों पर तालाबंदी की जाएगी।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शोभाराम भलावी ने कहा कि प्रदेश के किसान मूंग बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। मंडियों में खरीदी नहीं हो रही है। इसी को लेकर संघ ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित की जाए। सिवनी जिले की कृषि उपज मंडी को तालाबंदी का केंद्र बनाया गया है। भलावी ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। आंदोलन का दूसरा बड़ा मुद्दा बीज की गुणवत्ता है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री धनसिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन में कृषि विभाग और निजी कंपनियों द्वारा किसानों को घटिया बीज थमा दिया गया।

उन्होंने बताया कि कृषि किसान कल्याण विभाग सिवनी द्वारा वितरित किया गया मक्का और ज्वार का अंकुरण ही नहीं हुआ। वहीं बाजार में सिजेंटा कंपनी का मक्का NK-6802 सहित कई अन्य कंपनियों के बीज भी गुणवत्ता विहीन पाए गए हैं।

ठाकुर ने कहा, पहले खाद की किल्लत, अब बीज धोखा। शासन, प्रशासन और कंपनियां मिलकर किसान को कंगाल बना रही हैं। जब बीज ही नहीं उगा तो किसान खेती कैसे करेगा? सरकार और कंपनियां तुरंत किसानों के नुकसान की भरपाई करें। किसान नेताओं का कहना है कि यदि 15 जुलाई तक मूंग खरीदी और खराब बीज के मुआवजे पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो तालाबंदी के बाद आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। महासंघ के जिला अध्यक्ष पीतम सिंह ठाकुर ने किसान भाइयों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील किया है

शिक्षक शरद कुमार शिववेदी हुए सम्मानित

सिवनी नवभारत। जिले के शिक्षक को विगत दिनों जबलपुर में शिक्षकों का महाकुंभ का आयोजन किया गया। 200 से अधिक शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण के उपरांत सम्मानित किया गया।सम्मान कार्यक्रम दैनिक डिजिटल भारत एवं टेम्पटेशन इवेंट मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक ऑटोडोरियम गोल बाजार जबलपुर में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर्स प्राइड अवार्ड 2026 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई),स्मार्ट टीचिंग ,डिजिटल क्लासरूम, कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स एवं टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया।यह समारोह सम्मान नहीं बल्कि शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है ।कार्यक्रम में सम्मानित शिक्षकों को विशेषज्ञों के साथ संवाद एवं अनुभव साझा करने का भी अवसर दिया गया। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले से शिक्षक शरद कुमार शिववेदी शासकीय हाई स्कूल बरेलीपार ,विकासखंड जुन्नारदेव को भी सम्मानित किया गया। शिक्षक शिववेदी ने इस उपलब्धि के लिए अपनी सुपुत्री मनुश्री शिववेदी को विशेष श्रेय दिया है। शिक्षक शिववेदी को सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकगणों, परिवारजनों, गुरुजनों सामाजिक संगठनों, शिक्षक साथियों, मित्रों मीडिया के साथियों के द्वारा बधाइयां प्रेषित की गई हैं।

आयोजन कुकिंग प्रतियोगिता संपन्न, सरिता चौहान ने जीता प्रथम पुरस्कार

रसोईयों ने किया अपनी पाक कला का प्रदर्शन

सिवनी नवभारत। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय कुकिंग कंपटीशन जनपद पंचायत सिवनी के सभा कक्ष में आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में शासकीय शालाओं में भोजन बनाने वाले 38रसोइयों ने भाग लिया । कार्यक्रम का उद्देश्य भोजन में गुणवत्ता सुधार करना,पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन तैयार करने की जानकारी देना एवं रसोइयों के पाक कौशल का विकास करना था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने शालाओं में परोसे जाने वाले मीनू के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजन स्वयं अपने घर से तैयार कर ले गए जिसे कार्यक्रम स्थल में बहुत ही सलीके से अपनी -अपनी थालियों में प्रदर्शित किया गया। किसी ने मक्के की रोटी तो किसी ने अंकुरित अनाजों से अपनी थाली को सजाया ।

निर्णायक समिति द्वारा विभिन्न सात मानकों के आधार पर अवलोकन किया गया। जिसमें श्री लोकेश साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी की अध्यक्षता में सदस्य श्री सचेन्द्र मिश्रा विकासखंड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र सिवनी, टास्क मैनेजर श्रीमती अमृता चौधरी, क्वालिटी मॉनिटर श्रीमती नीलम विश्वकर्मा , पोषण विशेषज्ञ श्रीमती अलका शर्मा ,श्रीमती कल्पना उपाध्याय , श्रीमती अल्पा शर्मा शामिल रहे जिन्होंने गहनता से समस्त प्रतिभागियों का निरीक्षण एवं भोजन चखकर विजेता रसोइयों का चयन किया गया । साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से रसोइयों की पोषण संबंधित जानकारी का भी आँकलन किया गया।

जपं सिवनी के सीईओ लोकेश साहू द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्रीमती अमृता चौधरी टास्क मैनेजर जिला पंचायत सिवनी द्वारा रसोइयों को भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के सुझाव दिए गए तथा खाद्यान्न को संरक्षित रखना एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षित भी किया गया। श्री कपिल बघेल वरिष्ठ बीएसी जनपद शिक्षा केंद्र सिवनी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

इन्होंने पाया स्थान

प्रथम पुरस्कार5000 श्रीमती सरिता चौहान शासकीय माध्यमिक शाला कटिया, द्वितीय दो पुरस्कार3000, प्रत्येक विजेताओं श्रीमती काशी सूर्यवंशी जनता नगर एवं श्रीमती छाया सोनी अंबेडकर वार्ड सिवनी, तृतीय तीन पुरस्कार प्रत्येक विजेताओं को 2000 श्रीमती ज्योति बाई परासिया, श्रीमती सुनीला विश्वकर्मा कातलबोडी एवं श्रीमती दुर्गा कुमरे पीएम श्री भोमा तथा तीन सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक विजेताओं को 1000 चंद्रकुमारी पगारे गोरखपुर खुर्द, कन्याकुमारी उईके समनापुर एवं रामप्यारी बरकडे कन्या भोमा को प्रदान किया गया। साथ-साथ सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कान्हीवाड़ा बस स्टैंड पर अवैध कब्जे से लग रहा जाम

ग्राम पंचायत और पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल

कान्हीवाड़ा नवभारत। सिवनी-मंडला मार्ग जिले के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है, लेकिन वर्तमान में यह मार्ग अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो चुका है। कान्हीवाड़ा बस स्टैंड पर मुख्य मार्ग के साइड शोल्डर (सड़क के किनारे) पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से मुरुम डालकर कब्जा कर लिया गया है। इस वजह से यहाँ का यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और आए दिन लंबा जाम लग रहा है।

इस अव्यवस्था के बीच ग्राम पंचायत और पुलिस विभाग की चुप्पी अब जनता के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

हालत यह हो चुकी है कि विशेषकर स्कूल लगने और छुट्टी होने के समय यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। स्कूली बच्चों, एम्बुलेंस और आम राहगीरों को घंटों इस भीषण जाम में फंसे रहना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि रोड के साइड शोल्डर से अवैध रूप से डाली गई मोरम और दुकानों के प्रचार के लिए लगाए गए फ्लेक्स होर्डिंग्स को हटा दिया जाए, तो यातायात काफी हद तक सुगम हो सकता है।

शिकायतों के बाद भी कार्रवाई शून्य

हैरानी की बात यह है कि इस समस्या को लेकर स्थानीय समाजसेवियों द्वारा कई बार कान्हीवाड़ा थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिए जा चुके हैं और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज तक इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले और बुलंद हैं। यदि जल्द ही बस स्टैंड से मोरम और अवैध फ्लेक्स हटाकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करने पर मजबूर होगी।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 271 आवेदन प्राप्त

सिवनी नवभारत। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जिलास्तरीय जनसुनवाई में कुल 271 आवेदन प्राप्त हुए। आयोजित जन सुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत, अपर कलेक्टर सीएल चनाप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा लखनादौन, तहसील-लखनादौन, जिला-सिवनी, म.प्र. द्वारा भूमि स्वामी श्री राजकिशोर पिता संतप्रसाद श्रीवास्तव, निवासी-भगतसिंह वार्ड लखनादौन, तहसील-लखनादौन, जिला सिवनी, म.प्र. के निज स्वामित्व की ग्राम-लखनादौन, प.ह.नं.-72, रा.नि.मं. लखनादौन, तहसील-लखनादौन, जिला सिवनी, म.प्र. में स्थित खसरा नंबर-311/17 रकवा-0.004 हे. की आवासीय भूमि का बंधक किया जा रहा हैं। उक्त संपत्ति / भूमि पर किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था बैंक, शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग आदि का कोई स्वत्व, हित, अधिकार, अनुबंध, गिरवी आदि का भार अथवा इस बंधक व्यवहार में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था, बैंक आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आदि हो तो सूचना प्रकाशन से 7 दिन में मय असल दस्तावेजी व तथ्यात्मक प्रमाण के मुझसे आकर मिलें। बाद मियाद किसी की कोई आपत्ति आदि मेरे पक्षकार के हितों पर बंधकारक नहीं रहेगी एवं मेरे पक्षकार द्वारा उक्त संपत्ति के बंधक विलेख का निष्पादन व पंजीयन करवा लिया जावेगा।

इति दिनॉक :-13/07/2026, स्थान :-लखनादौन

श्रीमति रोशनी मन्द्रेला अधिवक्ता
सिविल कोर्ट लखनादौन, जिला- सिवनी म.प्र.
मो.नं. -9424904865